Received: Sep '22
Revised:
Accepted: Oct '22

© 2022 by the authors. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

STUDY OF SOCIAL ASSESSMENT OF CHILDREN AGAINST THE LAW UNDER THE JUVENILE JUSTICE ACT, 2015

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत विधि विरूद्ध बच्चों के सामाजिक मूल्यांकन का अध्ययन

Alka Rani Sharma
Research Scholar, Department of Sociology, Mohan Lal Sukhadia University, Udaipur
E-mail: alkathepower19@gmail.com

ABSTRACT

In the changing social environment of the present time, juvenile delinquency is taking serious form day by day due to industrial, scientific, economic, and cultural changes in the second half of the 20th century. Social cohesion is being broken down due to family disintegration. There is an increasing tendency for indiscipline and indiscipline among children. It has frequently been observed that juvenile adults do not commit crimes for a specific reason, but rather for the sake of their boyhood or to satisfy their curiosity. In fact, they do not have the ability to think properly about the good and bad consequences of their actions, so sometimes they commit crimes.

The nature of crimes committed by juvenile adult offenders is also often different. They are usually seen committing crimes of assault, abuse, sabotage, vagabondism, drug addiction, sexual offenses, theft, running away from home, etc. Most juvenile delinquents fall into criminality due to bad company, and once they stray on the wrong path, they are unable to manage themselves and fall into the abyss of criminality due to the frustration that arises in their lives and the future looks bleak. They are not kept in jail, but there is a special arrangement for their trial and treatment. which is provided in the Juvenile Justice (Care and Protection Act) 2015. A juvenile delinquent cannot be held prisoner by the police but should be sent to a group home.

वर्तमान समय के बदलते हुए सामाजिक परिवेश में किशोर अपराध दिनो दिन गंभीर रूप धारण करता जा रहा है, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हुए औद्योगिक, वैज्ञानिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण सामाजिक एकरूपता छिन्न-भिन्न होती जा रही है तथा पारिवारिक विघटन के कारण बच्चों में उद्दण्डता एवं अनुशासनहीनता की प्रवृति बढ़ती जा रही है। प्रायः यह देखा गया है कि किशोर वयस्क व्यक्ति किसी निश्चित उद्देश्य से अपराध नहीं करते वरन् केवल लड़कपन के कारण या अपनी जिज्ञासा और कौतूहल मिटाने के लिए अपराध करते है। वस्तुतः वे अपने कृत्य से अच्छे-बुरे परिणामों के बारे में ठीक तरह से सोचने की क्षमता नहीं रखते इसलिये यदा-कदा अपराध कर बैठते है।

किशोर वयस्क अपराधियों में अपराधों का स्वरूप भी प्रायः अलग होता है वे सामान्यतः मारपीट, गाली-गलौच, तोड़-फोड़, आवारागर्दी, नशाखोरी, लैंगिक अपराध, चोरी, घर से भाग जाने आदि के अपराध करते देखे जाते है। अधिकांश किशोर अपराधी बुरी संगत के कारण आपराधिकता में पड़ जाते है और एक बार गलत मार्ग पर भटक जाने पर वे स्वयं को संभाल पाने में असमर्थ रहते है तथा आपराधिकता की खाई में गिरते चले जाते है जिसके कारण उनके जीवन में निराशा उत्पन्न होती है और उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। उनको कारागार में नहीं रखा जाता बल्कि उनके विचारण तथा उपचार के लिये विशेष व्यवस्था है। जो किशोर न्याय (देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम) 2015 में उपबंधित है। किशोर अपराधी को पुलिस द्वारा बंदी नहीं बनाया जा सकता बल्कि उसे संप्रेषण गृह में भेजा जाना चाहिए।

Keywords: Clarias gariepinus, Serum, Blood Meal, Metabolic Waste.
मुख्य शब्द: औद्योगिक, वैज्ञानिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, अनुशासनहीनता, आवारागर्दी, नशाखोरी, लैंगिंक, अपराध, आपराधिकता, किशोर न्याय 2015।

प्रस्तावना

समाज में जहाँ एक ओर अपराध एवं विचलित व्यवहार को रोकने के अपने प्राधिकरण है वहीं नियमों एवं कानूनों का उल्लंघन भी सामाजिक व्यवस्था का एक यथार्थ है जिससे इंकार नहीं किया जा सकता। समाज के कुछ वर्गों के पास संसाधनों का अभाव होता है। संसाधनों एवं सुविधाओं का यही अभाव बच्चों में अपराध की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। अतः उन वर्गों के बच्चे आकस्मिक अपराधी न होकर आदतन अपराधी होते है। ये किशोर अपराधी छोटे-छोटे तथा समुह में अपराध करते है।

जिस संस्कृति और माहौल में बच्चे रहते है वह इन बच्चों को अपराध करने के लिए प्रेरित करते है तथा भविष्य में इनके सुधरने की संभावनाओं को कम करते है। ऐसा इसलिए होता

है क्योंकि कई बार उनकी उप संस्कृति के द्वारा उनके द्वारा किये गए अपराध को वैधता दी जाती है, वहीं कुछ समाजों में तो अपराध के तरीके सिखाना समाजीकरण का एक हिस्सा होते हैं।

प्रत्येक किशोर अपराधी के अपराध का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। अपराध का कारण चाहे जो भी रहा हो मूल रूप से अपराध के कारण कहीं न कहीं समाज में ही व्याप्त होते हैं और इसका नकारात्मक परिणाम भी समाज पर ही पड़ता है। बालक के मस्तिष्क की तुलना कुम्हार के मटके से की जा सकती है। जब मटका बनते वक्त गीला होता है उसे एक आकार दे दिया जाता है, उसके सूखने, पकने के बाद कुछ भी परिवर्तन संभव नहीं है। ठीक उसी तरह बालक का मस्तिष्क भी गीली मिट्टी के मटके जैसा होता है। इस दौरान उसका जैसा समाजीकरण हो जाता है आगे चलकर वही उसकी प्रवृति बन जाती है। जिसे परिवर्तित करना बहुत ही मुश्किल है। इस समय उसका मस्तिष्क उन संस्कारों, नियमों और व्यवहार प्रतिमानों को सीख रहा होता है। इस दौरान उसके पास अपने स्व-विवेक की कमी होती है और उसके द्वारा किया गया सारा व्यवहार उसके इसी अल्प स्व-विवेक से निर्देशित होता है।

किशोर अपराध के संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका में किये गये अपने वैयक्तिक अध्ययनों में ''अगस्ता ब्रोनट'' ने पाया कि अपचारी के कृत्य, उसके निजी व्यक्तित्व, भावनाओं और अन्य पर्यावरणीय दशाओं के परिणाम है। किशोर अपचार का यह वैयक्तिक दृष्टिकोण अपचारी को प्रभावित करने वाले और वंशानुगत रूप में उसे प्राप्त करने के अध्ययन पर जोर देता है। किशोर अपचार से संबंधित समूह दृष्टिकोण, बाल आपराधिकता के लिये बच्चे के पर्यावरण को एक प्रमुख कारक मानता है। वर्तमान समाज उपरोक्त किसी भी सिद्धान्त को नहीं मानता है। आजकल माना जाता है कि कोई बच्चा अपने पारिवारिक माहौल और दोस्तों की संगत आदि के कारण अपराधी बनता हैं न कि किसी अन्य कारण सें।

कानूनी दृष्टिकोण में किशोर कौन है?

किशोर एक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो बहुत युवा, बालक या वयस्क ना हो। दूसरे शब्दों में, किशोर का अर्थ है कि जो बच्चा अभी वयस्कों की आयु तक ना पहुँचा हो, जिसका तात्पर्य उसके बालपन और अपरिपक्व होने से है। कभी-कभी बच्चा शब्द किशोर के स्थान पर भी प्रयोग होता है।

कानूनी रूप से कहा जाए तो एक किशोर को उस बच्चे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसने अभी कानूनी रूप से निश्चित वयस्क आयु प्राप्त न की हो और देश के कानून के तहत उसे अपने किये हुए अपराधों के लिये वयस्क की तरह जिम्मेदार ना ठहराया जा सके। कानून के शब्दों में, एक किशोर वह व्यक्ति होता है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो। यह कानूनी महत्व रखता है। किशोर न्याय (देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम 2015 के अनुसार ''एक किशोर अगर वह किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल है तो कानूनी सुनवाई और सजा के लिये उसके साथ एक वयस्क की तरह व्यवहार किया जायेगा।''

किशोर अपराध क्या है?

जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराध कहा जाता है। कानूनी दृष्टि से किशोर अपराध 16 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कानून विरोधी कार्य है, जिसे कानूनी कार्यवाही के लिये किशोर न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है। यह बिल जघन्य अपराधों में लिप्त 16-18 वर्ष की आयु के बीच में किशोरों (जुवेनाईल) के ऊपर बालिगों के समान मुकदमा चलाने की अनुमति देता है साथ ही, कोई भी 16-18 वर्षीय जुवेनाईल जिसने कम जघन्य अर्थात गंभीर (Serious) अपराध किया हो, उसके ऊपर बालिग के समान केवल तभी मुकदमा चलाया जा सकता है जब उसे 21 वर्ष की आयु के बाद पकड़ा गया हो।

किशोर उम्र के बालक द्वारा किया गया कानून विरोधी कार्य किशोर अपराध है। केवल आयु किशोर अपराध को निर्धारित नहीं करती बल्कि इसमें अपराध की गंभीरता भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। 16 से 18 वर्ष के किशोर द्वारा कोई भी ऐसा अपराध न किया गया हो जिसके लिये राज्य मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास देता है जैसे हत्या, देशद्रोह, घातक आक्रमण आदि तो वह किशोर अपराधी माना जायेगा।

परिभाषा

किशोर अपराध को परिभाषित करते हुए भारतीय विद्वान और समाजशास्त्री डॉ. सुशील चन्द्र ने कहा है कि ''समाज के स्थापित आचरण से भिन्न आचरण करने वाला बालक, किशोर अपराधी होता है।'' इस प्रकार हम कह सकते है कि सामाजिक मूल्यों ओर आदर्शों के विपरीत कार्य करने वाला बालक, किशोर अपराधी होता है। ऐसा असामाजिक बालक, जिसके व्यवहार और आचरण पर समाज द्वारा अंगुली उठाई जाती हो, किशोर अपराधी की श्रेणी में आता है। कहा जा सकता है कि समाज विरोधी कृत्य करने वाला बालक किशोर अपराधी माना जाता है।

अपराध की दर

अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2013 में करीब 28000 किशोरों ने विभिन्न अपराध किये और इनमें से 3887 ने कथित रूप से जघन्य अपराधों को अंजाम दिया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़ों के मुताबिक वर्ष 2014 में कुल 38455, वर्ष 2015 में कुल 33433 और वर्ष 2016 में 35849 मामले किशोर अपराध के अंतर्गत पंजीकृत किये गये। 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 2541 किशोरों को गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 2015 में महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश के बाद राजस्थान में सबसे ज्यादा बच्चों के खिलाफ हत्या, दुष्कर्म एवं अन्य प्रकार के अपराध के मुकदमे दर्ज हुए जो कि बहुत सोचनीय है, क्योंकि बच्चे देश और परिवार की नींव और उज्जवल भविष्य होते है।

संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ की एक महत्वूर्ण रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किशोरों की संख्या 24 करोड़ से अधिक हैं यह आंकड़ा देश की जनसंख्या का लगभग एक चौथाई हिस्सा है। एक रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में गुस्से की प्रवृत्ति उनकी उम्र के अनुसार बदलती जाती है। वर्ष 2014 में ''इंडियन जनरल साइकोलॉजिकल मेडिसिन'' में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार लड़कों में लड़कियों के मुकाबले अधिक गुस्सा देखने को मिलता है।

किशोर अपराध का समाजशास्त्रीय सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य

किशोर अपराध एक गंभीर सामाजिक समस्या है। देश का भविष्य बालकों पर ही निर्भर करता हैं। पहले यह माना जाता था कि अपराधी अपने माँ-बाप से ही अपराध करने की प्रवृत्ति लेकर आता है। लेकिन अब स्पष्ट हो चुका है कि कोई भी बालक जन्म से अपराधी नहीं होता। अपराध एक सामाजिक रोग है जो समाज में विद्यमान परिस्थितियों की उपज है। इस प्रकार समाज में उपस्थित परिस्थितियाँ ही व्यक्ति को अपराधी बनाती हैं अत: बालकों की जैसी परिस्थितियाँ होगी, जैसे उन्हें संस्कार मिलेंगे वे वैसे ही बनेंगे। बालक तो सदैव ही अपने बड़ों का अनुसरण करते है। परिवार का वातावरण अगर अत्यधिक कार्यों में संलग्न है तो बालक भी अपने परिवार के बड़े लोगों का अनुसरण करने लगता है। इसके अलावा यदि किसी बालक की संगति ऐसे लोगों की है जो कि आपराधिक प्रवृति के है तो वह बालक भी आपराधिक कार्य और उसकी तकनीक सीख जायेगा। टॉर्ड ने इसलिये यह निष्कर्ष निकाला था ''मनुष्य आपराधिक कार्यों को नकल करके सीखता है।''

एलेक्स इंकिल्स ने अपनी पुस्तक ''वॉट इज सोशियोलॉजी'' (1964) के प्रथम अध्याय में सामाजिक व्याधिकीय तथ्यों (अपराध व आत्महत्या) को समाजशास्त्र की अध्ययनवस्तु बताई है। इस अध्ययन हेतु चुना गया विषय किशोर अपराध समाज के लिये व्याधिकीय तथ्य है। अत: समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र का विषय है।

मर्टन (1938) अपनी पुस्तक ''सोशल थ्योरी एण्ड सोशल स्ट्रक्चर (1968)'' में लिखते है कि विचलन जब औपचारिक नियमों के उल्लंघन के रूप में सामने आता है तो इसे अपराध की संज्ञा दी जाती है।

फ्रैडरिक थ्रेसर (1936) का गिरोह समूह अपराध पर केन्द्रित है तथा वह कोहेन व क्लोवार्ड मिलर की तरह ही साथियों के प्रभाव को स्पष्ट करता हैं थ्रेसर यह नहीं कहता कि गिरोह अपराध का कारण है। बल्कि वह कहता है कि गिरोह बाल अपराध में सहयोग करता है। उस प्रक्रिया को समझाते हुए जिसमें कोई समूह व्यवहार संबंधी कुछ विशेषताओं को अपनाता है और फिर उन्हें अपने सदस्यों को प्रेषित करता है, थ्रेसर कहता है कि गिरोह किशोरावस्था की अवधि में निरंतर खेल-समूहों और अन्य समूहों के बीच संघर्ष से उत्पन्न होता है।

शॉ और मैके (1931) ने सांस्कृतिक पारगमन का सिद्धान्त में बताया कि अपराध व्यक्तिगत तथा समूह संपर्क के द्वारा संप्रेषित किया जाता है तथा प्रभावी सामाजिक नियंत्रण एजेंसियों की कमी देश के कुछ बड़े नगरों में अपराध की ऊँची दर में सहायक होती है। 'अपराध क्षेत्र' निम्न आय तथा भौतिक रूप से अवांछित क्षेत्र होते है जिनके सदस्य आर्थिक अपेक्षाओं के शिकार होते है। इन क्षेत्रों में लड़के आवश्यक रूप से असंगठित, कुसमायोजित या असामाजिक नहीं होते है। इन क्षेत्रों में मौजूद अपराधी परंपराओं का प्रभाव ही उन्हें अपराधी बनाता है। यदि यह 'प्रभाव' नहीं होता तो वे अपराध से अलग अन्य क्रियाओं में संतुष्टि प्राप्त करते। सदरलैण्ड के सिद्धान्त में भी अपराध का सीखना संदर्भित है।

जॉर्ज हरबर्ट मीड (1913) का 'स्व' का सिद्धान्त और भूमिका सिद्धान्त के अनुसार कुछ सीमित संख्या में ही व्यक्ति अपराधी पहचान धारण करते है जबकि अधिक संख्या में लोग कानून का पालन करने वाले ही रहते है। वह कहते है कि अपराधी बनने तथा अपराधी पहचान धारण करने में कानून उल्लंघन करने वालों की केवल संगति करने से भी कुछ अधिक सम्मिलित होता है। इस प्रकार के संपर्क व्यक्ति के लिये सार्थक होने चाहिये जिनके प्रति वह समर्पित होना चाहता है।

एलबर्ट कोहेन (1955) का श्रमिक वर्ग के लड़के तथा मध्यमवर्गीय मानदण्ड सिद्धान्त में सिद्धान्तकारों का मानना है कि अपराध मुख्य रूप से श्रमिक वर्ग की घटना हैं।

क्लोवार्ड और ओहलिन (1960) का सफल लक्ष्यों और अवसर संरचना सिद्धान्त में सदरलैण्ड, मर्टन और मीड के सिद्धान्तों की कमियों को बताता है और आवश्यकताओं की संतुष्टि के

लिये तनाव व वैध विकल्पों के अभाव में उपलब्ध विकल्पों के प्रकार की व्यवस्था करता हैं

वॉल्टर मिलर (1958) का निम्नवर्गीय लड़का और निम्नवर्गीय संरचना सिद्धान्त में मिलर अपराध उप-संस्कृति को अस्वीकार करते है और निम्नवर्गीय संस्कृति की बात करते है।

डेविड मात्जा (1966) का अपराध और बहाव का सिद्धान्त प्रत्यक्षवादी संप्रदाय के इस नियतवादी दिशामान को अस्वीकार करता है कि अपराध लगभग पूर्णरूपेण संवेगात्मक तथा पर्यावरणीय कारकों के कारण होता है।

यदि हम किशोर अपराध से संबंधित सभी समाजशास्त्रीय सिद्धान्तों पर विचार करें तो यह कहा जा सकता है कि सभी समाजशास्त्रियों ने पर्यावरण, सामाजिक संरचना और सीखने की प्रक्रिया पर बल दिया है। इसके विरूद्ध मनोवैज्ञानिक व्यक्ति और उसके प्रेरणात्मक प्रतिमानों को ही अपराध में महत्वपूर्ण मानते है।

किशोर अपराध का कानूनी परिप्रेक्ष्य

कानूनी दृष्टिकोण से ''बाल न्याय अधिनियम 1989 के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 16 वर्ष से कम उम्र का लड़का बाल की श्रेणी में आता है और यदि ये कोई भी ऐसा व्यवहार करते है जिसका समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो इसे अपराध कहा जाता है।'' इस बाल न्याय अधिनियम में वर्ष 2000 एवं वर्ष 2006 में क्रमश: दो बार संशोधन किये गये। इन संशोधनों के अनुसार बालक की परिभाषा को परिवर्तित कर दिया। अब तक यह माना जाता रहा है कि 18 वर्ष की आयु से कम उम्र की लड़की और 16 वर्ष से कम आयु का लड़का बालक है लेकिन वर्ष 2006 के संशोधन के पश्चात् लड़के और लड़की के लिये यह उम्र समान कर दी गई। यह दोनों के लिये 18 वर्ष है।

भारतीय संविधान के अनेक उपबंधों जैसे कि अनुच्छेद 15 के खण्ड (3), अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21क, अनुच्छेद 22 के खण्ड (1) और (2), अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 39 खण्ड (ड) और (च), अनुच्छेद 39 (क), अनुच्छेद 45, 47 और अनुच्छेद 51 (क-ट) में बच्चों की सभी जरूरतों की पूर्ति तथा उनके मूलभूत अधिकारों का पूर्ण संरक्षण करने का प्रमुख दायित्व राज्य पर अधिरोपित किया गया हैं

भारत सरकार ने 0-18 वर्ष के विधि से संघर्षरत बच्चों और देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं के लिये नवीन किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 लागू किया है। इस नवीन कानून के माध्यम से पूर्व के किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 को निरस्त कर दिया गया है। भारत सरकार ने अधिसूचना जारी कर नवीन किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 को 15 जनवरी 2016 में पूरे देश में प्रभावी किया हैं

इस कानून को विधि से संघर्षरत बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में विशेष कानून का दर्जा दिया गया है। इस कानून को कुल 112 धाराओं एवं 10 अध्यायों में विभाजित किया गया है।

किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अनिधियम 2015 में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन, 1989 में निर्धारित बाल अधिकारों तथा विधि से संघर्षरत किशोरों हेतु निर्धारित संयुक्त राष्ट्र किशोर न्याय न्यूनतम मानक नियम, 1985 (बीजिंग रूल्स), अपनी स्वतंत्रता से वंचित संयुक्त राष्ट्र किशोर संरक्षण नियम,1990 एवं बाल संरक्षण और अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण संबंधी हेग कन्वेशन, 1993 के अंतर्राष्ट्रीय मापदण्डों को ध्यान में रखा गया है।

नवीन किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का उद्देश्य बाल मैत्री वातावरण एवं प्रक्रिया के तहत बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए विधि से संघर्षरत बच्चों के समुचित न्याय सुनिश्चित करने देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास की व्यवस्था करने तथा विभिन्न तरह के शोषण से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस प्रयोजन कानून में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रावधान, प्रक्रियाऐं तथा बाल संरक्षण सेवाओं तथा संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन का प्रावधान किया है।

इस कानून के तहत सभी बच्चों की देखरेख और संरक्षण हेतु आधारभूत सिद्धान्त निर्धारित किये गये है जिनमें मुख्य रूप से बच्चे के अपराध की निदोर्षित, गरिमा और योग्यता, सर्वोत्तम हित, सहभागिता, परिवार की जिम्मेदारी, सुरक्षा सकारात्मक उपाय, गैरकलंकनीय भाषा का प्रयोग, समानता और भेदभाव न करना, गोपनीयता का अधिकार, संस्थागत देखभाल अंतिम विकल्प, नये सिरे से शुरूआत एवं प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक बच्चे के प्रकरण में कार्यवाही एवं प्रक्रिया के दौरान ये सभी सिद्धांत संस्थाओं एवं व्यक्तियों का मार्गदर्शन करेंगे।

किशोर न्यायालय

किशोर न्यायालय एक विशेष प्राधिकरण है जिसका कार्य बालकों से संबंधित मुदकमों को देखना होता है तथा इन्हें न्याय दिलाना होता हैं। कुछ राज्यों में विशेष रूप से किशोर अपराधियों पर मुकदमा चलाने तथा दण्डित करने के लिए किशोर न्यायालय स्थापित किए गए हैं। यदि बाल न्यायालय के इतिहास को देखा जाये तो 1922 में भारत का प्रथम बाल न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया गया, उसके बाद

1927 में मुम्बई में, और 1930 में मद्रास में स्थापित किया गया। उसके बाद कुछ अन्य राज्यों में भी ऐसे न्यायालय स्थापित किये गये लेकिन इनकी कार्यविधि से बिल्कुल भिन्न-भिन्न होते थे।

इन न्यायालयों में आमतौर पर महिला मजिस्ट्रेट होती थी तथा सरकारी वर्दी में पुलिस अधिकारी इन न्यायालयों में नहीं आ सकते। मुकदमें में भी पूर्ण गोपनीयता रखी जाती है। किशोर न्यायालय की कार्यवाही के दौरान जनता को उपस्थित रहने की अनुमति नहीं होती। बाल न्यायालय यह समझता है कि जनहित में वकील का उपस्थित होना आवयश्क है, तो उसे विशेष मामले में साधारण वेशभूषा में न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार है ताकि उसका नकारात्मक असर इस न्यायालय में चलने वाले मुकदमें तथा बालक पर नहीं पड़ता।

किशोर न्यायालय के प्रमुख लक्षण इस प्रकार है -

1- कार्यवाही की अनौपचारिकता
2- दण्ड का उद्देश्य प्रतिशोधात्मक न होना
3- बालकों की सुरक्षा और पुनर्वास और सामाजिक सुधार के उपायों का प्रयोग
4- संरचनात्मक दृष्टि से किशोर न्यायालय
5- न्यायिक संस्तरण के अभिन्न अंग है क्योंकि किशोर न्यायालयों से सभी अपीले उच्च वयस्क न्यायालयों को अग्रसारित की जाती है।
6- किशोर न्यायालयों द्वारा मामलों की सुनवाई के तरीके आमतौर पर यह होते है कि किशोर अपराधियों को उनके संरक्षकों को सौंपना, चेतावनी देने के बाद रिहा करना, आर्थिक दण्ड देना, परिवीक्षा पर रिहा करना, सुधारगृहों, स्कूलों या बोर्स्टल स्कूलों में भेज देना और कारावास का दण्ड।

निष्कर्ष

अत: कहा जा सकता है कि किशोर अपराध को कानूनी तथा सामाजिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया गया है तथा किशोर अपराध से संबंधित अन्य अवधारणाओं तथा किशोर न्याय अधिनियम 2015 तथा समय-समय पर अधिनियमों में होने वाले परिवर्तन तथा संशोधन तथा किशोर न्यायालय में सुधार गृह उनके कार्य परिवीक्षा तथा पैरोल का वर्णन किया गया है।

Refrences

1. Paraajaye, Dr. N.V. (Chaturth Sanskaran, 2006), Aparaadh Shaastr Evan Dandaprashaasan, Central Law Pablikeshans, Ilaahaabaad
2. Mahaajan, Dr. Sajeev (2007), ''Bhaarat Mein Saamaajik Vighatan'', Arjun Pablishing Haus, Delhi
3. Sharma, Shashi Prabha (Pratham Sanskaran, 2009), ''apachaaree Baalak Avadhaarana, Nivaaran Evan Sudhaar'' Kanishk Pablishars, Distributors, New Delhi
4. Mahaajan, Dr. Dharmaveer, Mahaajan, Dr. Kamalesh (2010), ''aparaadh Evan Samaaj'' Vivek Prakaashan, Javaahar Nagar, Delhi-7
5. Raajora, Dr. Suresh Chandr (2010), ''Samakaaleen Bhaarat Kee Saamaajik Samasyaen'', Raasjthan Hindi Granth Akadmi, Jaipur
6. Aahooja Raam, Aahooja Mukesh (2011), ''Vivechanaatmak Aparaadhashaastr'', Raavat Publikeshan, Jaipur and New Delhi
7. Sharma, Y.S. (2012), ''aparaadh Shaastr Evan Dandashaastr''University Book House, Jaypur
8. Mukharjee, Dr. Ravindra Nath, Agrawal Dr. Bharat (2012), ''saamaajik Samasyaen'', Vivek Prakaashan, Javaahar Nagar, Delhi-7
9. Rathod, Dr. Ajay Singh (2013), ''kaanoon Ka Samaajashaastr'' Research Publikeshan, Jaipur
10. Sharma, G.L. (2015), ''saamaajik Mudde'', Raavat Pablikeshans, Jaipur
11. Sharma Raamanaath, Sharma Raajendr Kumaar, ''aparaadhashaastr End Dandashaastr Evan Saamaajik Vighatan'', Etalaantik Publishers and Distributors , New delhi
12. Kishor Nyaay Adhiniyam 2000
13. Kishor Nyaay Adhiniyam 2015
14. Aparaadhee Pariveeksha Adhiniyam 1958
15. Dand Prakriya Sanhita 1973
16. Bhaarat Kee Sanvaidhaanik Vidhi